

न्यायालय परगनाधिकारी चांदपुर

T 101513602377

वाद सं०..... 13/15

धारा 143 ज० वि० अधि०

मौजा-फैजीपुर कस्बा

परगना - चान्दपुर

संबास खों जमीर मैमोरियल ए०सो०चान्दपुर

वनाम

सरकार

द्वारा प्रबन्धक शेरबाज खान

नकल निर्णय दिनांक 5-2-15

9.

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही प्रबन्धक शेरबाज खान पुत्र श्री निसार खान मौ० चाहसंग कस्बा चान्दपुर परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार चांदपुर की आख्या अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० अधि० के आधार पर प्रारम्भ हुई। तहसीलदार चांदपुर के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 30.01.15 में उल्लेख किया गया है। कि ग्राम फैजीपुर कस्बा पर० चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता सं० 94 गाटा सं० 133 क्षे० 1.5340 है० के 1/2 भाग क्षे० 0.7670हे, ल० 24.60रू० व खाता सं० 97 के गा०सं० 134/2 क्षे० 0.5980हे मे से 0.2550हे, ल० 9.60रू० पर मोकें पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य बागवानी, पशुपालन, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है।

अतः ग्राम फैजीपुर कस्बा परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर का फैजीपुर कस्बा पर० चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता सं० 94 गाटा सं० 133 क्षे० 1.5340 है० के 1/2 भाग क्षे० 0.7670हे, ल० 24.60रू० व खाता सं० 97 के गा०सं० 134/2 क्षे० 0.5980हे मे से 0.2550हे, ल० 9.60रू० को अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

वादी की ओर से नकल फर्द खतौनी व सी०एच० 45 एवं बैनामे की छाया प्रति दाखिल किये गये। नामीका वकील व अन्य किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं कि गयी।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कि ग्राम फैजीपुर कस्बा पर० चान्दपुर तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता सं० 94 गाटा सं० 133 क्षे० 1.5340 है० के 1/2 भाग क्षे० 0.7670हे, ल० 24.60रू० व खाता सं० 97 के गा०सं० 134/2 क्षे० 0.5980हे मे से 0.2550हे, ल० 9.60रू० पर मोकें पर उक्त भूमि पर कृषि कार्य बागवानी, पशुपालन, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन का कार्य नहीं हो रहा है। प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य चल रहा है। अतः फैजीपुर कस्बा पर० व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता सं० 94 गाटा सं० 133 क्षे० 1.5340 है० के 1/2 भाग क्षे० 0.7670हे, ल० 24.60रू० व खाता सं० 97 के गा०सं० 134/2 क्षे० 0.5980हे मे से 0.2550हे, ल० 9.60रू० को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

गैने पत्रावली का भलि-भांति अयलोकन किया एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के आधार पर तहसीलदार चान्दपुर की आख्या दिनांक 30.01.15 स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार चांदपुर की आख्या दिनांक 30.01.15 स्वीकार की जाती है। अतः ग्राम फैजीपुर कस्बा परगना व तहसील चांदपुर जिला बिजनौर के खाता सं० 94 गाटा सं० 133 क्षे० 1.5340 है० के 1/2 भाग क्षे० 0.7670हे, ल० 24.60रू० व खाता सं० 97 के गा०सं० 134/2 क्षे० 0.5980हे मे से 0.2550हे, ल० 9.60रू० को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदानुसार अमल दरामद दर्ज कागजात हो। आदेश की प्रति तहसीलदार एवं उपनिबन्धक चांदपुर को अनुपालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

राकेश कुमार
परगनाधिकारी चांदपुर

उक्त आदेश मे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं खुले न्यायालय में उदघोषित किया गया।

दिनांक

राकेश कुमार
परगनाधिकारी चांदपुर



दिनांक 22-2-15
22-2-15
22-2-15

5-2-15
2-2-15